


Entire 183

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल



159

R-2453-PBR114

हरिसिंह मीना आयु करीब 60 वर्ष आ. श्री बाबूलाल मीना
निवासी - फेफरताल तह. व जिला होशंगाबाद-----याचिकाकर्ता

श्री विद्वान् सेन्नी
अभिभाषक द्वारा

बनाम

आज दिनांक 23-7-14
को भोपाल केम्प पर उक्त

1. बी.के.शुक्ला आयु करीब 55 वर्ष आत्मज स्व.श्री रामनाथ,
निवासी अरेरा कालोनी भोपाल तह.व जिला भोपाल

(मृत) 2. के.के.शुक्ला आयु करीब 72 वर्ष
आत्मज श्री छोटेलाल शुक्ला
निवासी-159 अरेरा कालोनी भोपाल तह.व जिला भोपाल

3. आनंद प्रकाश आयु करीब 75 वर्ष
आत्मज स्व. श्री छोटेलाल
निवासी सोलहपुर महाराष्ट्र

4. नमोनारायण शुक्ला आयु करीब 61 वर्ष
निवासी राजा मोहल्ला होशंगाबाद

5. श्रीमती शोभा शुक्ला आयु करीब 60 वर्ष
पत्नि श्री जुगलकिशोर
निवासी-न्यास कालोनी इटारसी
तह. इटारसी जिला होशंगाबाद

6. श्रीमती उषा शुक्ला पत्नि स्व. श्री संतोष शुक्ला (मृत)

7. श्रद्धा शुक्ला आयु करीब 45 वर्ष पुत्री स्व. श्री संतोष शुक्ला

8. सिद्धार्थ शुक्ला आयु करीब 42 वर्ष पुत्री स्व. श्री संतोष शुक्ला

9. लगायत 5 स्त्रियों निवासी-रायपुर नाका, दुर्ग

ज. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

10. संजय मीना आयु करीब 40 वर्ष आत्मज श्री हरिसिंह मीना

निवासी - फेफरताल तह. व जिला होशंगाबाद.....उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं.

याचिकाकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक- 19 अ-3 वर्ष 2010-11 जिसके पक्षकार बी.के.शुक्ला बनाम हरिसिंह व अन्य है में पारित आदेश दिनांक 13.06.2014 से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत करते है :-





न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2453-पीबीआर/14

जिला होशंगबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-2-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री संदीप दुबे, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अनावेदक पक्ष सूचित हों ।</p> <p> 32</p>	<p> अध्यक्ष</p>